मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्रीमती बबुर कुंवर पत्नी प्रतापसिंह राव निवासी आसोलिया की मादड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर

...................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

..............प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 56/25 (वाद) GCMS No. – 2025/120

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आसोलियों की मादड़ी पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 139, 117 पर दर्ज आराजीयात भूमि में वादीया का नाम भंवर कुंवर पत्नी प्रतपसिंह के बजाय भंवर कुंवर उर्फ बबुर कुंवर पत्नी प्रतापसिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:28 IST
Reason: SelfAttested